न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस

मूल वाद संख्या– 47/2021 तथा इस न्यायालय का वाद पत्र संख्यांक 185/2022

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

वादी

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र देवीलाल जाति कुमावत, निवासी–ढाणी नागान, तहसील–जोबनेर
2. मैनका देवी पत्नि संजयकुमार जाति कुमावत, निवासी–रोड नं0 3 गुढमोड, जिला–झुन्झुनु
3. सीताराम पुत्र देवीलाल
4. हनुमानप्रसाद पुत्र देवीलाल

समस्त जाति कुमावत निवासी–ढाणी नागान तहसील–जोबनेर, जयपुर।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् शर्त भंग के कारण सिवायचक घोषित करने व बेदखली करने हेतु</u>

उपस्थितः– 1. सरकार पैरोकार वादी।
2. श्री हनुमान जाखड, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः– 17/1/2023

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत दिनांक 28.04.2021 को प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश कमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वादी/प्रतिवादीगण अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 अनुपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ढाणी नागान तहसील जोबनेर में स्थित खसरा नं0 583/1 रकबा 3.0348 हे0 राजस्व रिकार्ड में प्रतिवदीगण 01 लगायत 04 के नाम दर्ज है। पटवारी ढाणी नागान से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नं0 में वर्णित कृषि भूमि को दुकानों आदि का निर्माण कर गैर कृषि प्रयोजन में काम में लिया जा रहा है अर्थात् कृषि भूमि पर कृषि कार्य न कर शर्त भंग की गयी है एवं भूमि क्षेत्र को हानि पहुंचाई है। इस कृत्य के लिए प्रतिवादीगण को भूमि क्षेत्र से बेदखल करने व भूमि को सिवायचक घोषित करने की आज्ञा पारित की जावें।

वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 ने दिनांक 05.10.2021 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की खसरा नं0 583/1 में पटवारी रिपोर्ट के आधार पर भूमिधारी तहसीलदार द्वारा खातेदारों के खिलाफ

.......2

17/01/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

177 की कार्यवाही माननीय न्यायालय में पेश कर दी। उक्त खसरा नं0 में कोई निर्माण नहीं है। अकृषि उपयोग नहीं किया गया है। किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं है।

इस बाबत् हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की जावे, ताकि ग्राम पंचायत ढाणी नागान अभियान में प्रकरण का निस्तारण हो सके। इस पर तहसीलदार, जोबनेर द्वारा पत्र क्रमांक शिविर/2021/9 दिनांक 22.10.2021 द्वारा पटवारी हल्का ढाणी नागान से प्राप्त मौका रिपोर्ट पेश की गयी जिसमें अंकित किया कि ग्राम ढाणी नागान तह0 जोबनेर के ख0नं0 583, 725/603, 588/1, 588/9, 583/2, 583/3 आदि में बिना भूमि का संपरिवर्तन किए निर्माण कार्य करने पर धारा 177 के तहत कार्यवाही न्यायालय में पेश की गयी थी। परन्तु आराजी खसरा नं0 583 व 583/1 (सीमावर्ती) होने के कारण सवहन से आराजी खसरा नं0 583 की जगह 583/1 रिपोर्ट में दर्ज हो गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रार्थना पत्र क्रमांक 26/21 दिनांक 16.06.2021 पेशकर पत्रावली पुनः पेश करने की अनुमति के साथ विड्रा करने की अनुमति चाही गई।

बहस पक्षकारान सुनी गयी। सरकार पैरोकार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा भी सरकार पैरोकार की बहस एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 05.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिए गये प्रार्थना पत्र तत्पश्चात प्रार्थना पत्र पर प्राप्त रिपोर्ट पटवारी में उल्लेखित तथ्यों का वर्णन करते हुए प्रकरण को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अध्ययन मनन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार जोबनेर के प्रार्थना पत्र संख्या 26/21 दिनांक 16.06.2021 तथा पटवारी हल्का ढाणी नागान की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि तत्कालीन तहसीलदार फुलेरा हाल जोबनेर द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार जोबनेर की प्रार्थना अनुसार उन्हें निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत नवीन वाद तत्काल प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को टंकित कराकर बाद मेरे हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

17/01/2023

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर